



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मार्च, 2021

फाल्गुन 14, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आबकारी अनुभाग—2

संख्या 228 ई-2/तेरह-21-2021-42-2013

लखनऊ, 5 मार्च, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०—13

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1750 ई-2/तेरह-2003-2/2003 दिनांक 31 मई, 2003 में दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में नीचे स्तम्भ-1 में दी गई अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गई अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
4 (क) सभी अन्य प्रकार की स्प्रिट सिवाय :- (एक) विकृत स्प्रिट तथा (दो) अनुज्ञा प्राप्त बन्धित/गैर बन्धित फार्मेसियों को जारी किये गये अल्कोहल/शोधित स्प्रिट	प्रतिफल शुल्क की दर प्रति बोतल (750 मि०ली०)	4 (क) सभी अन्य प्रकार की स्प्रिट सिवाय :- (एक) विकृत स्प्रिट तथा (दो) अनुज्ञा प्राप्त बन्धित/गैर बन्धित फार्मेसियों को जारी किये गये अल्कोहल/शोधित स्प्रिट	प्रतिफल शुल्क की दर प्रति बोतल (750 मि०ली०)

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
(1) 0 से 70 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 240+ई0डी0पी0 का 75%	(1) 0 से 70 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 240+ई0डी0पी0 का 75%
(2) 70 से अधिक, 125 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 262+ई0डी0पी0 का 82%	(2) 70 रुपये से अधिक, 125 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 262+ई0डी0पी0 का 82%
(3) 125 से अधिक, 250 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 270+ई0डी0पी0 का 83%	(3) 125 रुपये से अधिक, 250 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 270+ई0डी0पी0 का 83%
(4) 250 से अधिक, 400 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 275+ई0डी0पी0 का 85%	(4) 250 रुपये से अधिक, 400 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 275+ई0डी0पी0 का 85%
(5) 400 से अधिक 600 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 290+ई0डी0पी0 का 90%	(5) 400 रुपये से अधिक 600 रुपये मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 290+ई0डी0पी0 का 90%
(6) 600 रुपये से अधिक मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 300+ई0डी0पी0 का 95%	(6) 600 रुपये से अधिक मूल्य (ई0डी0पी0) तक की 750 एम0एल0 की बोतल	रु0 300+ई0डी0पी0 का 95%
(ख) (1) 70.00 रुपये तक के (एक्स डिस्टिलरी/एक्स बाण्ड) मूल्य (ई0डी0पी0) के 750 मि0ली0 की बोतल में सी0एस0डी0 कैण्टीनों/अन्य केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के लिए विदेशी मदिरा एफ0एल0-9क लाइसेंस के माध्यम से रियायती रम की बिक्री के लिए	रु0 53.33 प्रति बल्क लीटर	(ख) (1) 70.00 रुपये तक के (एक्स डिस्टिलरी/एक्स बाण्ड) मूल्य (ई0डी0पी0) के 750 मि0ली0 की बोतल में सी0एस0डी0 कैण्टीनों/अन्य केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के लिए विदेशी मदिरा एफ0एल0-9क लाइसेंस के माध्यम से रियायती रम की बिक्री के लिए	रु0 53.33 प्रति बल्क लीटर
(2) सी0एस0डी0 कैण्टीनों के विदेशी मदिरा एफ0एल0-9 लाइसेंस के माध्यम से उप खण्ड (1) में वर्गीकृत रियायती रम को छोड़कर, सभी अन्य प्रकार की स्प्रिट की बिक्री के लिए	उक्त स्प्रिट पर सिविल हेतु अधिसूचित प्रतिफल शुल्क का 60 प्रतिशत।	(2) सी0एस0डी0/केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की कैण्टीनों के विदेशी मदिरा एफ0एल0-9 लाइसेंस के माध्यम से उप खण्ड (1) में वर्गीकृत रियायती रम को छोड़कर, सभी अन्य प्रकार की स्प्रिट की बिक्री के लिए (एक) प्रीमियम श्रेणी तक की सभी अन्य प्रकार की स्प्रिट की बिक्री के लिए	(एक) उक्त स्प्रिट पर सिविल हेतु अधिसूचित प्रतिफल शुल्क का 60 प्रतिशत।

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
		(दो) प्रीमियम श्रेणी से उच्च श्रेणी की सभी अन्य प्रकार की स्प्रिट की बिक्री के लिए	(दो) उक्त स्प्रिट पर सिविल हेतु अधिसूचित प्रतिफल शुल्क।

4(ग)-नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये मद 6 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया मद रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान मद		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित मद	
6-वाइन 750 एम0एल0 की बोतलें	रु0 75.00 प्रति बल्क लीटर या बोतल के अधिकतम फुटकर मूल्य का 25 प्रतिशत, जो अधिक हो, परन्तु इसकी अधिकतम सीमा रु0 1.000/- प्रति लीटर होगी।	6-वाइन 750 एम0एल0 की बोतलें	रु0 75.00 प्रति बल्क लीटर या बोतल के अधिकतम फुटकर मूल्य का 25 प्रतिशत, जो अधिक हो, परन्तु इसकी अधिकतम सीमा रु0 1.000/- प्रति लीटर होगी।

आज्ञा से,
संजय आर0 भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the Publication of following English translation of notification No. 228 E-2/XIII-21-2021-42-2013, dated March 05, 2021:

No. 228 E-2/XIII-21-2021-42-2013

Dated Lucknow, March 05, 2021

In exercise of the powers under section 30 of the United Province Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1750 E-2/XIII-2003-2/2002 dated May 31, 2003 with effect from April 01, 2021 :-

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the Schedule set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I Existing Schedule		COLUMN-II Schedule as hereby Substituted	
4(a) All other sorts of spirit except :- (i) Denatured Spirit and (ii) Alcohol/Rectified Spirit issued to Bonded/Un bonded Pharmacies Licensed under the Medicinal and Toiled Preparation (Excise Duty) Act, 1955	Rate of consideration fee per Bottles (750 ml)	4(a) All other sorts of spirit except :- (i) Denatured Spirit and (ii) Alcohol/Rectified Spirit issued to Bonded/Un bonded Pharmacies.	Rate of consideration fee per Bottles (750 ml)
COLUMN-I		COLUMN-II	

<i>Existing Schedule</i>		<i>Schedule as hereby Substituted</i>	
(1) Bottles of 750 ml. priced (EDP) 0 to Rs. 70.00	Rs. 240+75% of EDP	(1) Bottles of 750 ml. priced (EDP) 0 to Rs. 70.00	Rs. 240+75% of EDP
(2) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 70.00 and up to Rs. 125.00	Rs. 262+82% of EDP	(2) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 70.00 and up to Rs. 125.00	Rs. 262+82% of EDP
(3) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 125.00 and up to Rs. 250.00	Rs. 270+83% of EDP	(3) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 125.00 and up to Rs. 250.00	Rs. 270+83% of EDP
(4) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 250.00 and up to Rs. 400.00	Rs. 275+85% of EDP	(4) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 250.00 and up to Rs. 400.00	Rs. 275+85% of EDP
(5) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 400.00 and up to Rs. 600.00	Rs. 290+90% of EDP	(5) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 400.00 and up to Rs. 600.00	Rs. 290+90% of EDP
(6) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 500.00 and up to Rs. 600.00	Rs. 300+95% of EDP	(6) Bottles of 750 ml. Priced (EDP) more than Rs. 500.00 and up to Rs. 600.00	Rs. 300+95% of EDP
(b) (1) For the sale of concessional Rum through F.L. 9A. License for C.S.D. Canteens/other Para military forces (Ex-Distillery/Ex Bond) bottles of 750 ml. Priced (EDP) up to Rs. 70.00	Rs. 53.33 per bulk litre	(b) (1) For the sale of concessional Rum through F.L. 9A. License for C.S.D. Canteens/other Para military forces (Ex-Distillery/Ex Bond) bottles of 750 ml. Priced (EDP) up to Rs. 70.00	Rs. 53.33 per bulk litre
(2) For the sale of all other sort of spirits [except concessional Rum categorized in sub-clause (1)] through FL-9 License of C.S.D. Canteens	60% of the consideration fee notified for civil on that spirit	(2) For the sale of all other sort of spirits [except concessional Rum categorized in sub-clause (1)] through FL-9 License of C.S.D./Para Military Force Canteens (i) For sale of all another types of spirit up to premium category (ii) for sale of all category of another types of spirit above the premium category	(i) 60% of the consideration fee notified for civil on that spirit. (ii) On that spirit consideration fee as notified for civil.

4 (c) for Article 6 set out in Column I below, the Article as set out in Column II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I <i>Existing Article</i>		COLUMN-II <i>Article as hereby Substituted</i>	
6. Wines Bottles of 750 ml.	Rs. 75.00 per buld litre or twenty five percent of maximum retail price of bottles whichever is higher but its maximum limit should be Rs. 1000 per litre.	6. Wines Bottles of 750 ml.	Rs. 75.00 per buld litre or twenty five percent of maximum retail price of bottles whichever is higher but its maximum limit should be Rs. 1000 per litre.

By order,
SANJAY R. BHOOSREDDY,
Apar Mukhya Sachiv.